संख्या:66/2020/1550 ई-2/तेरह-2020-01/2020

प्रेषक,

संजय आर. भूसरेड्डी
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी।
पुलिस आयुक्त, लखनऊ/गौतमबुद्धनगर।
समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/ पुलिस अधीक्षक,
उत्तर प्रदेश।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 23 जुलाई, 2020

विषय:-कन्टेनमेंट जोन्स के बाहर स्थित आबकारी अनुज्ञापनों की संचालन अवधि के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आबकारी आयुक्त के पत्र संख्या-जी 39/दस-लाइसेंस-367/सुझाव आबकारी नीति/2020-21, दिनांक 16.07.2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करे, जिसके माध्यम से कन्टेनमेंट जोन्स के बाहर स्थित आबकारी अनुज्ञापनों की संचालन अवधि के संबंध में कतिपय प्रस्ताव प्रेषित किये गये है। उपरोक्त पर सम्यक् विचारोपरान्त शासन स्तर पर निम्नलिखित निर्णय लिय गये है:-

(1) आबकारी अनुज्ञापनों, जो कन्टेनमेंट जोन्स के बाहर संचालित हैं, को गृह विभाग के शासनादेश संख्या 1755/2020/सीएक्स-3 दिनांक 14.07.2020 द्वारा प्राविधानित प्रत्येक सप्ताह शुक्रवार, रात्रि 10 बजे से सोमवार प्रातः 5 बजे तक बन्दी की व्यवस्था से मुक्त रखा जाता है।

(2) समस्त देशी मदिरा, विदेशी मदिरा, बीयर एवं भांग की फुटकर दुकानों और माडल शाप्स जो कन्टेनमेंट जोन्स के बाहर संचालित हैं की संचालन अवधि प्रातः 10.00 बजे से रात्रि 09.00 बजे तक निर्धारित की जाती है। आबकारी अनुज्ञापनों के संबंध में शासन स्तर से निर्धारित संचालन अवधि से इतर संचालन अवधि का निर्धारण आवश्यक है तो संबंधित जिलाधिकारी द्वारा शासन से अनुमति प्राप्त की जाएगी।

(3) दैवी आपदा, सर्वव्यापी महामारी, महामारी एवं कानून व्यवस्था की स्थितियों में यदि कहीं स्थानीय कारणों से देशी मदिरा, विदेशी मदिरा, बीयर एवं भांग की फुटकर दुकानों और माडल शाप्स के संचालन अवधि में परिवर्तन की आवश्यकता उत्पन्न होती है तब प्रत्येक दिवस 12 घंटे की सीमा के अंतर्गत संपूर्ण प्रदेश अथवा इसके आंशिक भाग या किसी जनपद के संपूर्ण अथवा आंशिक भाग में संचालन अवधि निर्धारित करने हेतु आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश को अधिकृत किया जाता है।

2. सार्वजनिक स्थानों पर मदिरा-पान का उपभोग निषिद्ध होगा। प्रकरण में विस्तृत विवरण हेतु गृह (गोपन) अनुभाग-3 के उक्त सन्दर्भित आदेश संख्या:-1686/2020/सीएक्स-3, दिनांक 30.06.2020 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का यथास्थिति संदर्भ लिया जाना अपेक्षित होगा।

तदनुसार अग्रतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(संजय आर. भूसरेड्डी)
अपर मुख्य सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या:66/2020/1550(1) ई-2/तेरह-2020 तददिनांक।

उक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ.प्र. शासन।
2. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, मा. मुख्यमंत्री, उ.प्र. शासन।
3. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, उ.प्र. शासन।
4. आबकारी आयुक्त, उ.प्र. प्रयागराज को इस आशय प्रेषित कि कृपया अधीनस्थ विभागीय अधिकारियों/ कर्मचारियों को आवश्यक निर्देश अपने स्तर से निर्गत करने का कष्ट करे।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार)
संयुक्त सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।